

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि) 5454/2020

ध्रुव कृष्ण मग्गू

....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री जगमोहन बंसल, अधिवक्ता के  
साथ श्री अखिल कृष्ण मग्गु,  
अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

...प्रत्यर्थागण

द्वारा : श्री एस.वी. राजू, ए.एस.जी के साथ  
श्री रवि प्रकाश, श्री आदित्य शेखर,  
श्री शाहन उल्ला, श्री फरमान अली,  
श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, श्री अन्नम  
वेंकटेश, सुश्री साइरिका एस. राजू,  
श्री शौर्य आर. राय, सुश्री. जील  
शाह, प्र.-4/डीजीजीआई के  
अधिवक्तागण।

श्री चेतन शर्मा, ए. एस. जी. के साथ  
श्री अक्षय गडोक और श्री सहज गर्ग,  
भारत संघ के अधिवक्ता।

और

रि.या.(सि) 10130/2020

के. पी. एंड सन्स व अन्य

....याचीगण

द्वारा : श्री जे. के. मित्तल, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ व अन्य

...प्रत्यर्थागण

द्वारा : श्री एस.वी. राजू, विद्वान ए.एस.जी के साथ श्री रवि प्रकाश, श्री आदित्य शेखर, श्री शाहन उल्ला, श्री फरमान अली, श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, श्री अन्नम वेंकटेश, सुश्री साइरिका एस. राजू, श्री शौर्य आर. राय, सुश्री. जील शाह, प्र.-3 के अधिवक्तागण।

सुरक्षित: 21 दिसंबर, 2020

निर्णय की तिथि: 08 जनवरी, 2021

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या.मनमोहन:

**रि.या.(सि) 5454/2020 में सि.वि. सं. 28105/2020**

**रि.या.(सि)10130/2020 में सि.वि. सं. 32276/2020**

1. जब, सि वि. सं. 32276/2020 को याचिकाकर्ता द्वारा रि.या.(सि) 10130/2020 में अंतरिम संरक्षण की मांग करते हुए दायर किया गया है। सि.वि.सं 28105/2020 को प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के द्वारा रि.या.(सि) 5454/2020 में दिनांक 20 अगस्त, 2020 के आदेश द्वारा प्रदानित अंतरिम संरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए दायर किया गया है ।

2. यह बताना उचित है कि जब रि.या.(सि) सं. 5454/2020 को पहली बार इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20 अगस्त, 2020 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें श्री चेतन शर्मा विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा था कि इसी तरह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। उक्त कथन के आधार पर, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। रि.या.(सि) सं. 5454/2020 में इस न्यायालय के द्वारा पारित किया दिनांक 20 अगस्त, 2020 के आदेश का संबंधित भाग को यहाँ नीचे दिया गया है।

“वर्तमान रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि सी.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 की धारा 69 और 132 मनमाने, अनुचित हैं और संसद की विधायी क्षमता से परे होने के कारण संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत हैं।

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

श्री चेतन शर्मा, श्री अति.महा.सा. स्पष्ट रूप से कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले में रि.या.(आप.) सं. 184/2020 में नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

पूर्वोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि, अगले आदेश तक, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की जमानत को रद्द नहीं किया जाएगा।”

3. तत्पश्चात्, प्रत्यर्थागण द्वारा अंतरिम संरक्षण को समाप्त करने के लिए इस आधार पर एक आवेदन दायर किए जाने पर कि रि.या. (आप.) सं 184/2020 में अंतरिम आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31 अगस्त, 2020 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने 06 नवंबर, 2020 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया था।

4. यह न्यायालय इस आदेश के माध्यम से संबंधित रिट याचिकाओं में दोनों आवेदनों में अंतरिम संरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य मुद्दों का निर्णय कर रहा है।

5. इसके अलावा, रि.या.(आप.) सं.10130/2020 में याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन अर्थात् सि.वि. सं.32276/2020 में प्रत्यर्थी सं. 2 एवं 3 द्वारा दायर प्रति शपथ पत्र के प्रत्युत्तर को अभिलेख पर लाने की अनुमति के लिए सि.वि. 344/2021 दायर किया था। उपरोक्त आवेदन को दिनांक 06.01.2021 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और मामले की फिर से सुनवाई प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

#### याचीगण के ओर से तर्क

6. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगमोहन बंसल और श्री जे. के. मित्तल ने निवेदन किया कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 69 और 132 (संक्षिप्त के लिए 'सी.जी.एस.टी अधिनियम') आपराधिक प्रकृति के प्रावधान होने के कारण असंवैधानिक हैं उन्हें भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 246क के तहत अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की शक्ति वस्तु और सेवा कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति के लिए सहायक और / या आकस्मिक नहीं है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि माल और सेवा कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 246 क के तहत प्रदान की गई है इसलिए उसके संबंध में शक्ति का पता अनुच्छेद 246 या सातवीं अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता है।

8. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सूची 1 की प्रविष्टि 93 केवल सूची 1 के मामलों के संबंध में आपराधिक कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है और सी.जी.एस.टी में नहीं। इसलिए, उनके अनुसार, धारा 69 और 132 संसद की विधायी क्षमता से बाहर हैं।

9. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले थे जहां एक निर्धारिती को जाँच के प्रारंभिक चरण में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विभाग बाद में न्यायिक कार्यवाही में अपना मामला साबित करने में विफल रहा था और इस प्रक्रिया में, निर्धारिती को गिरफ्तारी के कारण अपूरणीय क्षति हुई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मामलों में याचीगण को प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी अदत्त कर, अल्प भुगतान कर, या गलत रिफंड या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया हो के लिए सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

10. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थीगण ने गलती से दावा किया है कि चूंकि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं और सी.जी.एस.टी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जिसमें गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती आदि के प्रावधान हैं

प्रत्यर्थागण अध्याय XII या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं. प्र. सं. संक्षिप्त में) के किसी भी प्रावधान से बंधे नहीं हैं जो जाँच शुरू करने, केस डायरी बनाए रखने आदि को नियंत्रित करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी.जी.एस.टी अधिकारियों को किसी अपराध की जाँच करते समय पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ निहित होने के बावजूद, कार्यवाही को 'जाँच' कहा जाता है और तलब किया गया व्यक्ति 'आरोपी' नहीं होता है। उन्होंने बताया कि चूंकि सी.जी.एस.टी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं इसलिए समन किए गए व्यक्तियों को अनुच्छेद 20 (3) के तहत कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं है-जिससे वे अत्यधिक पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में, जहां सी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत जाँच की जा रही थी, में आदेश दिया है कि निर्धारिती के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रि.या.(आपराधिक) सं. 221/2020, श्याम खेमानी बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य, दिनांकित 31 अगस्त, 2020; रि.या.(आपराधिक) सं. 118/2019, मुकेश मनकचंद कोठारी बनाम भारत संघ और अन्य, दिनांकित 26 अप्रैल, 2019; रि.या. (आपराधिक) 212/2019, गज राज सिंह बैद बनाम भारत संघ और अन्य दिनांकित 09 अगस्त, 2019; रि.या.

(आपराधिक) सं. 336/2018, राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य, दिनांकित 08 जनवरी, 2019; और रि.या. (आपराधिक) सं. 267/2019, नम्रता जैन और अन्य, दिनांकित 30 सितंबर, 2019 में पारित आदेशों पर भरोसा जताया है

12. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के मित्तल ने रि.या. (सि) सं. 10130/2020 में एक घोषणा के लिए प्रार्थना की थी कि केंद्रीय कर अधिकारियों को उक्त याचिका में याचिकाकर्ता सं.1 पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि माल और सेवा कर परिषद द्वारा 20 सितंबर, 2017 के परिपत्र द्वारा लिए गए निर्णयों के मद्देनजर राज्य कर अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र सौंपा गया था। उन्होंने रि.या. (सि) 10130/2020 में पेपर बुक के पृष्ठ 97 और 98 पर परिपत्र पर भरोसा करके तर्क दिया है कि उक्त मामले में जाँच करने का अधिकार क्षेत्र राज्य, दिल्ली ज़ोन , ज़ोन-2, वार्ड-16 में निहित है।

13. उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा (रि.या (सि) सं. 10130/2020 में) जारी दिनांकित 19 जून, 2017 के अधिसूचना के द्वारा याचिकाकर्ता सं. 1 के लिए क्षेत्राधिकार आयुक्तालय को दिल्ली उत्तर आयुक्तालय के रूप में न कि दिल्ली पूर्व आयुक्तालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थागण के लिए विद्वान ए.एस.जी श्री एस.वी. राजू ने निवेदन किया कि अनुच्छेद 246 क में माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए विशेष प्रावधान हैं। उनके अनुसार, धारा 69 और 132 माल और सेवा कर के संबंध में हैं और इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246क द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 246क में विषय वस्तु के साथ-साथ संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों का वितरण भी शामिल है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सातवीं अनुसूची में किसी भी विधायी प्रविष्टि के भीतर सी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत अपराधों को अधिनियमित करने की शक्ति का स्रोत पता लगाना आवश्यक नहीं था।

15. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच कानून बनाने की शक्ति का वितरण करता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 246 संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की विषयवस्तु की गणना नहीं करता है क्योंकि इन्हें सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में गिना गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 246 में अभिव्यक्ति 'कानून बनाना' संसद को कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करती है और राज्य विधानमंडलों में विषय मामलों के संबंध में अपराधों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति शामिल है। अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, उन्होंने

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **यू.ओ.आई बनाम मोहित मिनरल्स, (2019) 2 एस.सी.सी. 599** पर भरोसा किया ।

16. विद्वान ए.एस.जी ने प्रस्तुत किया कि यदि सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 69 और 132 को अधिनियमित करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 246क द्वारा प्रदान नहीं की गई है तो कानून बनाने की उक्त शक्ति को अनुच्छेद 246 (2) के साथ पढ़ी गई सूची III की प्रविष्टि 1 और 2 के आधार पर संसद को प्रदान की गई समझी जाएगी। उन्होंने इंगित किया कि अपराध के लिए संसद की शक्ति सूची 1 की प्रविष्टि 93 तक सीमित नहीं है क्योंकि अन्यथा समवर्ती सूची के तहत किए गए अधिनियमों में कोई अपराध प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।

17. विद्वान ए.एस.जी ने आगे प्रस्तुत किया कि सी.जी.एस.टी अधिनियम एक विशेष अधिनियमन है और उक्त अधिनियम में इसके विपरीत विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, द.प्र.सं. में निर्धारित सामान्य प्रावधान का पालन करना पड़ता है। अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के **प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन, (1994) 3 एससीसी 440** में फैसले पर भरोसा किया था।

18. उन्होंने बताया कि मंजूरी दिए जाने पर, एक सी.जी.एस.टी अधिकारी द्वारा द.प्र.सं. के तहत सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का पालन करके न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है।

उन्होंने द.प्र.सं. के तहत इस पर जोर दिया। शिकायत करने के तरीके, प्रारूप या पात्र व्यक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार, सी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत शिकायत करने के प्रावधान की अनुपस्थिति में सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 69 और 132 के अधिकारों को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकती है।

19. उन्होंने यह भी कहा कि द.प्र.सं. की धारा 190 के तहत, एक दंडाधिकारी किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट या किसी अपराध के होने के बारे में किसी जानकारी पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि द.प्र.सं. किसी अपराध का संज्ञान लेने की दंडाधिकारी की शक्ति को सीमित नहीं करता है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आक्षेपित प्रावधानों को शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशिष्ट तरीका प्रदान नहीं करने के लिए अधिकारातीत क्यों ठहराया जा सकता है।

20. उन्होंने कहा कि सी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, जब कर चोरी की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक हो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सभी अपराध जिनमें कर चोरी 5 करोड़ रुपये से कम जमानतीय है। 5 करोड़ और उससे अधिक कर चोरी से जुड़े केवल गंभीर अपराध गैर-जमानतीय और संज्ञेय हैं।

21. विद्वान ए.एस.जी. ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रि.या.(सि)

10130/2020 में उठाए गए अधिकार क्षेत्र का मुद्दा तथ्यों के विपरीत था

और कानून में असमर्थनीय था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत, केंद्रीय कर के उचित अधिकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं यदि राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के अधिकारियों द्वारा समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं की गई हो।

22. उन्होंने बताया कि चूंकि रि.या. (सि) सं. 10130/2020 में याचिकाकर्ता सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में स्थित था, इसलिए अतिरिक्त आयुक्त, सी.जी.एस.टी - पूर्वी दिल्ली ने सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली में अपने समकक्ष से अनुरोध किया था कि वह सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली के एक अधिकारी को सी.जी.एस.टी - पूर्वी दिल्ली के अधिकारियों के साथ उक्त परिसर में तलाशी लेने के लिए तैनात करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि 23 नवंबर, 2020 का सर्च वारंट अतिरिक्त आयुक्त, सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली द्वारा डी.आई.एन सं. 20201151ZI000041414B के द्वारा सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली के निरीक्षक के नाम पर याचिकाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय परिसर की तलाशी लेने के लिए दुकान सं. 313, तीसरी मंजिल, 1170, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 दिनांक 23 नवंबर, 2020 पर जारी किया गया था। उक्त वारंट तलाशी के दौरान याचिकाकर्ता को भी दिया गया था इसलिए, उनके अनुसार, रि.या. (सि) सं. 10130/2020 में याचिकाकर्ता का दावा कि

गैर-न्यायिक अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी, पूरी तरह से गलत था।

23. उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान मामलों में कई गैर-कार्यात्मक और फर्जी फर्म शामिल हैं जिन्होंने धोखाधड़ी से आई.जी.एस.टी रिफंड और / या आई.टी.सी. क्रेडिट का लाभ उठाया था और भारत सरकार को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि अब तक की गई जाँच के अनुसार, रि.या.(सि) 5454/2020 के मामले में धोखाधड़ीपूर्ण आई.जी.एस.टी रिफंड 63 करोड़ रुपये से अधिक था और रि.या.(सि) 10130/2020 के मामले में दावा किया गया धोखाधड़ी वाला आई.टी.सी. 6.35 करोड़ रुपये से अधिक था। उन्होंने आगे कहा कि रि.या.(सि) 10130/2020 में जाँच से पता चला है कि उसमें याचिकाकर्ता ने 211.89 करोड़ रुपये के बिक्री का बिल बनाया है जबकि केवल 2.95 करोड़ रुपये की कीमत के स्टॉक थे जो इंगित करता है कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी वाले बिल बढ़ाकर सर्कुलर ट्रेडिंग में लिप्त रहा है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने प्रार्थना की कि याचीगण को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दी जाए।

रि.या.(सि) 10130/2020 में प्रत्युत्तर निवेदन

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे. के. मित्तल ने तर्क दिया कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता सी.जी.एस.टी - उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है और सी.जी.एस.टी - पूर्वी दिल्ली के रि.या. (सि) 5454/2020&10130/2020 पृष्ठ सं. १३

अधिकारीगण याचिकाकर्ता के परिसर पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। श्री मित्तल ने आग्रह किया कि जब सी.जी.एस.टी -उत्तरी दिल्ली द्वारा उस प्रभाग के एक अधिकारी को तलाशी प्राधिकरण जारी किया गया था, तो सी.जी.एस.टी - पूर्वी दिल्ली से संबंधित अधिकारी के लिए याचिकाकर्ता के परिसर में वास्तविक तलाशी लेने की अनुमति नहीं थी, वह भी सी.जी.एस.टी -उत्तरी दिल्ली के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में। इसके अलावा, श्री मित्तल द्वारा यह तर्क दिया गया था कि तलाशी प्राधिकरण केवल याचिकाकर्ता के कार्यालय परिसर के लिए था, जबकि सी.जी.एस.टी -पूर्वी दिल्ली के अधिकारियों ने आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली थी। श्री मित्तल के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण था।

25. थोड़े अलग रूप पर देखने पर, श्री मित्तल ने यह तर्क भी दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20 सितंबर, 2017 को जीएसटी परिषद द्वारा जारी परिपत्र सं.1 के अनुसार राज्य कर अधिकारियों को सौंपा गया था जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कर अधिकारियों के पास याचिकाकर्ता की जाँच करने के लिए अपेक्षित क्षेत्राधिकार नहीं था।

प्रत्यर्थागण द्वारा प्रत्युत्तर का जवाब

26. प्रत्युत्तर के जवाब में, श्री एस.वी. राजू, विद्वान अति.महा.सा. ने तर्क दिया कि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के

परिसर के लिए 23 नवंबर, 2020 को तलाशी की अनुमति अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी-दिल्ली, उत्तर द्वारा जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता का पता सीजीएसटी-दिल्ली, उत्तर के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी-दिल्ली, पूर्व ने दिनांक 22 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी-दिल्ली, उत्तर से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 (2) के तहत तलाशी की अनुमति जारी करने और उक्त पते पर तलाशी के उद्देश्य से सीजीएसटी-दिल्ली, उत्तर के एक निरीक्षक को नियुक्त करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त आयुक्त सीजीएसटी-दिल्ली, उत्तर ने 23 नवंबर, 2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 (2) के तहत सीओएसटी-दिल्ली, उत्तर के निरीक्षक के नाम पर तलाशी के लिए सीओएसटी-दिल्ली, पूर्वी अधिकारियों की टीम के साथ जाने के लिए तलाशी की अनुमति को जारी किया। उन्होंने कहा कि यह उन मामलों हेतु मानदंड हैं जहां तलाशी अन्य क्षेत्राधिकार में की जानी है। इसके अलावा, विद्वान अति.महा.सा. ने रिट याचिका के पृष्ठ 78 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो इंगित करता है कि सीजीएसटी-दिल्ली और सीजीएसटी-उत्तर दोनों ही प्रधान मुख्य आयुक्त, दिल्ली की कमांड के अंदर आते हैं। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डिवीजन/प्रभाग द्वारा तलाशी की

अनुमति को जारी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ था।

27. श्री मित्तल द्वारा पेश किए गए दूसरे तर्क का विद्वान अति.महा.सा. द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि वास्तव में, परिपत्र सं. 01/2017 दिनांकित 20 सितंबर, 2017 के अनुसरण में, जीएसटी अधिकारियों का क्रॉस-अधिकार हुआ था। उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना सं. 39/2017-केंद्रीय कर दिनांकित 13 अक्टूबर, 2017 जारी की जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिकारियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत धनवापसी के उद्देश्य के लिए उचित अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए क्रॉस अधिकारिता प्रदान करता है। इस स्थिति को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी पत्र सं. एफ.सं. सी.बी.ई.सी.-20/10/07/2019-जीएसटी दिनांकित 22 जून, 2020 द्वारा स्पष्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि आसूचना-आधारित प्रवर्तन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य कर और केंद्रीय कर अधिकारियों को क्रॉस-अधिकारिता देने के लिए किसी अलग अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, विद्वान अति.महा.सा. ने कहा कि केंद्रीय कर अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 और एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत राज्य कर प्रशासन को सौंपे गए

करदाताओं के खिलाफ आसूचना-आधारित प्रवर्तन कार्यवाही करने के लिए पूर्ण अधिकार हैं।

28. अंत में, विद्वान अति.महा.सा. द्वारा यह प्रतिवाद किया गया था कि ये मुद्दे वर्तमान अंतरिम आवेदन के स्तर पर प्रासंगिक नहीं होंगे क्योंकि आवेदन गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के बारे में है।

### न्यायालय का तर्क

किसी भी अधिनियमिति या किसी भी भाग की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह दर्शाने का कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसी अधिनियमिति को आक्षेपित करता है। आगे, कानूनों को इस काल्पनिक सिद्धांत पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि शक्ति को किसी भी अवास्तविक रूप में या एक निर्वात में या इस आधार पर कि शक्ति के दुरुपयोग की एक व्यापक संभावना है।

29. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के साथ प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 द्वारा दायर दिनांक 22 दिसंबर, 2020 के प्रति-शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि किसी अधिनियमिति या उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर न्यायानिर्णयन करने के सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं।

30. किसी भी अधिनियमिति या किसी भी भाग की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह दर्शाने का कि संवैधानिक सिद्धांतों

का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसी अधिनियमिति को आक्षेपित करता है। साथ ही, जब भी किसी प्रावधान की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो कानून के प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव/परिणाम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। **नमित शर्मा बनाम भारत संघ, (2013) 1 एससीसी 745** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:-

*20. हिंसा विरोधक संघ बनाम मिर्जापुर मोती कुरेश जमात [(2008) 5 एससीसी 33] में बूचड़खानों को बंद करने के मामले से निपटते हुए, न्यायालय ने ए.पी. बनाम पी.लक्ष्मी देवी [(2008) 4 एससीसी 720] में अपने पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक नियम पेश किया जिसमें कहा गया था कि न्यायालय को कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करते समय या यहां तक कि किसी प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिक वैधता को परखते हुए न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए और यह तभी होता है जब किसी संवैधानिक अधिनियम का उचित संदेह से परे स्पष्ट उल्लंघन होता है तभी न्यायालय को किसी उपबंध को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए।..."*

(जोर दिया गया)

31. आगे, कानूनों को इस काल्पनिक सिद्धांत पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि शक्ति को किसी भी अवास्तविक रूप में या

एक निर्वात में या इस आधार पर कि शक्ति के दुरुपयोग की एक व्यापक संभावना है। वास्तव में, यह मान लिया जाना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि किसी विशेष कानून का प्रशासन और उसे लागू "अन्याय की नजर और असमान हाथ द्वारा नहीं किया जाएगा"। उच्चतम न्यायालय ने **मगनलाल छगनलाल (प्रा.) लिमि. बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य, (1975) 1 एससीआर 1** में निम्नलिखित माना है कि:-

"हमारे समक्ष प्रस्तुत दो वर्गों के मामलों में कानून स्वयं उनके पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, वह यह है कि निगम और सरकार से संबंधित परिसर पर अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे को बेदखल करने के मामले में त्वरित प्रक्रिया से कार्य होना चाहिए। जिन अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है उनके लिए यह पर्याप्त मार्गदर्शन है। इस तरह के संकेत जो विधि में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं जिसमें कानूनों से संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का लाभ उठाएंगे और साधारण सिविल न्यायालय की विलंबकारी प्रक्रिया का सहारा नहीं लेंगे। यहां तक कि आम तौर पर कोई भी एक अधिकारी के पास दो प्रक्रियाओं का विकल्प होने की कल्पना नहीं कर सकता है, एक जो उसे संपत्ति का कब्जा जल्दी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और दूसरा विकल्प जो लम्बा होगा और बाद वाले विकल्प का सहारा लेने का होगा। प्रशासनिक अधिकारी, जो न्यायालयों से कम नहीं हैं, शून्य में कार्य नहीं करते हैं। यह अभिनिर्धारित करना अत्यंत अवास्तविक होगा कि कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकारी संपत्ति या नगरपालिका संपत्ति के अनधिकृत

अधिभोगियों की बेदखली के लिए कार्यवाही करने में एक मामले में दो अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का और दूसरे में साधारण सिविल न्यायालय का सहारा लें। इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को इस काल्पनिक सिद्धांत पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि शक्ति का प्रयोग इस तरह के अवास्तविक तरीके से किया जाएगा। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या अधिकारी व्यक्तियों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच भेदभाव कर रहे हैं, इसके लिए सामान्य मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखना होगा न कि उस व्यवहार को जो असामान्य है। यह भेदभाव की हर काल्पनिक संभावना नहीं है, लेकिन भेदभाव के वास्तविक जोखिम को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह उन मामलों में से एक नहीं है जहां कानून के समक्ष भेदभाव एकदम स्पष्ट है। भेदभाव होना संभाव्य है परन्तु बहुत असंभव है। और यदि वास्तविक व्यवहार में भेदभाव है तो यह न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। इसके अलावा, यह तथ्य कि विधायिका ने माना कि सामान्य प्रक्रिया सरकारी और निगम की संपत्ति के अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने में अपर्याप्त या अप्रभावी है और इसलिए एक विशेष त्वरित प्रक्रिया प्रदान की गई है, अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के कर्तव्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। इसलिए, हम उत्तरी भारत केटरर्स के मामले में बहुमत से सहमत होने में असमर्थ हैं।"

(जोर दिया गया है)

वस्तु एवं सेवा कर एक विशिष्ट कर है, क्योंकि शक्ति के रूप में और साथ ही साथ कानून की पृष्ठभूमि एकल अनुच्छेद 246क में पाया जाता है। अनुच्छेद 246क की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण रूप से व्यापक है क्योंकि यह

वस्तु और सेवा कर के संबंध में सभी कानूनों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

32. इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि वस्तु एवं सेवा कर एक विशिष्ट कर है, क्योंकि शक्ति के रूप में और साथ ही साथ कानून की पृष्ठभूमि एकल अनुच्छेद 246क में पाया जाता है। अनुच्छेद 246क की पृष्ठभूमि काफी व्यापक है क्योंकि यह न केवल दोनों संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी अधिनियम लागू करने और/या अधिनियमित करने का अधिकार देता है, बल्कि यह वस्तु और सेवा कर के संबंध में सभी कानून बनाने की शक्ति भी देता है।

33. यह स्थापित कानून है कि जब तक कि संविधान स्वयं इस विषय पर विधान को आत्यन्तिक रूप से या सशर्त रूप से निषिद्ध नहीं करता है, तब तक किसी विधानमंडल की अपनी विधायी क्षमता के भीतर विधान अधिनियमित करने की शक्ति पूर्ण है। साथ ही, विधायी शक्ति प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिनियमिति में दिए शब्दों/अभिव्यक्ति को व्यापक आयाम और आशय वाले शब्द के रूप में माना जाना चाहिए, अंतर्वस्तु के शब्दों के रूप में किया जाना चाहिए और इसलिए सबसे वृहत् निर्माण को उन पर रखा जाना चाहिए।

34. वास्तव में, अधिनियम की धारा 69 द्वारा प्रदत्त गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की सामान्य शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ अपराधों तक ही

सीमित है जो अधिनियम की धारा 69 में दिए गए हैं अर्थात् कुछ अपराध जो अधिनियम की धारा 132 के तहत किए गए और इस तरह बताए गए सभी अपराध वस्तु और सेवा कर से संबंधित अपराध हैं। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह मत है कि अनुच्छेद 246क में प्रयुक्त "वस्तु और सेवा कर के संबंध में" अभिव्यक्ति, एक संवैधानिक प्रावधान होने के नाते इसको इसका व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए और इसमें वस्तु और सेवा कर के संबंध में आपराधिक विधि लागू करने की शक्ति शामिल होगी।

35. यहां अनुच्छेद 246क और अनुच्छेद 246 के संचालन के बीच भी कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 246क में एक गैर-बाधात्मक खंड जोड़ा गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वस्तु और सेवा कर के संबंध में दोनों, संसद और राज्य विधानमंडलों के पास समकालीन शक्तियां हैं। तदनुसार, इस शक्ति का अर्थ उदारतापूर्वक लगाया जाना चाहिए जो संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकार देती है और यह अनुच्छेद 246 और 254 में प्रदान की गई विधायी शक्ति के वितरण से अप्रभावित रहती हैं। (*स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्राइ. लिमि. बनाम भारत संघ, रि.या. सं. 961/2018 दिनांकित 3 दिसंबर, 2020 में देखें*)

इस न्यायालय का प्रथमदृष्टया राय है कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम का सार और तत्व एक विषय पर है जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है जैसे कि गिरफ्तार करने और अभियोजन चलने की शक्ति आनुषांगिक है और/या वस्तु और सेवा कर को वसूलने और एकत्रित करने की शक्ति के लिए प्रासंगिक है।

36. यह भी समान रूप से स्थापित है कि जब किसी कानून को विधायिका की शक्तियों के क्षेत्राधिकार से अधिकारातीत होने के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो विधान के वास्तविक चरित्र को समग्र रूप से सुनिश्चित करना होगा। इस न्यायालय का विचार है कि जब एक सूची में किसी विषय पर विचार करने वाली विधि दूसरी सूची में किसी विषय पर भी स्पर्श करती है, तो अधिनियमिति का सार और तत्व अर्थात् विधान का वास्तविक उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा। यदि, कानून की जांच करने पर, यह पाया जाता है कि विधान का तत्व विधायिका को सौंपे गए मामले पर है जो उस कानून को लागू करता है, तब इसे अपनी संपूर्णता में वैध माना जाना चाहिए भले ही यह अपनी क्षमता से परे के मामलों में हस्तक्षेप करे। प्रासंगिक अतिक्रमण निषिद्ध नहीं है। लार्ड पोर्टर ने **प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, एआईआर 1947 पीसी 60** में कहा, “सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए” “सार और अस्तित्व में जो होता है वो ही अधिनियमिति का प्रभाव होता है जिसकी शिकायत की जाती है। आक्षेपित विधान के सार को

पता लगाने में, अधिनियमिति को एक समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और साथ ही उसके उद्देश्य और उसके प्रावधानों और प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

37. सार और तत्व के सिद्धांत का औचित्य यह है कि परिसंघीय संविधान में, संघ और राज्य विधानमंडलों की शक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर करना संभव नहीं है। अतिव्यापन होना तय है और ऐसे सभी मामलों में यह पूछना उचित है कि पूरी समग्रता में विधि का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। एक सख्त व्याख्या के परिणामस्वरूप अतिव्यापी होने के आधार पर बड़ी संख्या में कानूनों को अमान्य घोषित किया जाएगा। यदि विधायिका को उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी गुंजाइश हो, तो यह मानना आवश्यक है कि संविधान किसी विधायिका को ऐसे मामले से निपटने से नहीं रोकता है जो किसी और मामले में प्रासंगिक रूप से दूसरे विधायिका के कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। सि.जे. ग्वायर ने **सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम मुत्तुस्वामी गुन्दन [1940] एफ.सी.आर. 188** में सार और तत्व के सिद्धांत की वैधता की व्याख्या करते हुए कहा है:-

*“यह अनिवार्य रूप से समय-समय पर होता है कि विधान यद्यपि एक सूची के किसी विषय पर विचार करने के लिए तात्पर्यित है, दूसरी सूची के किसी विषय पर भी स्पर्श करता है, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधान इतने निकटता से जुड़े हो सकते हैं कि कड़ाई से मौखिक व्याख्या के अंधे पालन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कानूनों को*

*अमान्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि उन्हें अधिनियमित करने वाली विधायिका एक वर्जित क्षेत्र में विधान करता प्रतीत हो सकता है।”*

38. नतीजतन, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि सीजीएसटी अधिनियम का सार और तत्व एक ऐसे विषय पर है, जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है क्योंकि गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की शक्ति आनुषांगिक है और/या वस्तु और सेवा कर वसूलने और एकत्र करने की शक्ति से प्रासंगिक है।

यदि यह मान लिया जाता है कि वस्तुओं और सेवा कर के निष्पादन के संबंध में अपराध करने की शक्ति अनुच्छेद 246क के अधीन नहीं पाया जा सकता है, तब उसको सूची III के प्रविष्टि 1 में भी पाया जा सकता है।  
उपरोक्त प्रविष्टि में प्रयोग किया गया शब्द 'आपराधिक विधि' महत्वपूर्ण रूप से व्यापक है और अपवादों को छोड़कर सभी आपराधिक कानूनों को शामिल करता है।

39. यदि यह मान लिया जाता है कि वस्तुओं और सेवा कर के निष्पादन के संबंध में अपराध करने की शक्ति अनुच्छेद 246क के अधीन नहीं पाया जा सकता है, तब उसको सूची III के प्रविष्टि 1 में भी पाया जा सकता है। उपरोक्त प्रविष्टि में प्रयोग किया गया शब्द 'आपराधिक विधि' महत्वपूर्ण रूप से व्यापक है और अपवादों को छोड़कर सभी आपराधिक कानूनों को शामिल करता है अर्थात् सूची-II के विषयों के संबंध में बनाई गई विधियां।

40. उच्चतम न्यायालय ने **करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994)** एससीसी 569 में ने इस बात पर जोर दिया है कि पूर्वोक्त प्रविष्टि में प्रयुक्त भाषा को बहुत व्यापक शब्दों में वर्णित किया है और 'आपराधिक विधि' शब्द के दायरे को किसी भी ऐसे मामले को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है जो आपराधिक प्रकृति का हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रविष्टि के अधीन शक्ति के प्रयोग का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए जिससे कि विधायी आशय को पूरा लाभ मिल सके। उक्त निर्णय का सुसंगत भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"445. प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि प्रविष्टि बहुत व्यापक शब्दों में की गई है। "दांडिक विधि" शब्दावली के बाद के शब्द किसी भी ऐसे मामले के दायरे को बढ़ाते हैं जिसे वैध रूप से आपराधिक प्रकृति का माना जा सकता है। इसलिए, इस प्रविष्टि के तहत शक्ति के प्रयोग का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि विधायी गतिविधि को पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सके। तथापि, प्रविष्टि की व्यापकता बाद की अभिव्यक्ति द्वारा नियंत्रित की गई है जो सूची 1 या सूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में विधान बनाने के लिए किसी भी विधानमंडल की शक्ति को उससे ले लेती है। चूंकि यह भाग प्रविष्टि के दायरे को प्रतिबंधित और संकीर्ण करता है, इसलिए इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। चूंकि संघीय ढांचे

के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्चता प्राप्त है (देखें भारत संघ बनाम एच.एस. ढिल्लों [(1971) 2 एससीसी 779 : एआईआर 1972 एससी 1061]) समवर्ती सूची में प्रविष्टि के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई किसी अधिनियमिति का अध्यारोही प्रभाव उन निर्बन्धनों के अधीन होगा जिन्हें प्रविष्टि से ही वर्णित किया जा सकता है। इस प्रविष्टि के तहत वैध होने के लिए संघ संसद द्वारा एक कानून को दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा; एक, कि यह आपराधिक कानून से संबंधित होना चाहिए और अपराध ऐसा नहीं होना चाहिए जो सूची II में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ प्रदान किया गया है या किया जा सकता है। आपराधिक कानून क्या है? अपराध से संबंधित कोई भी अधिनियम या नियम, “(दी) आपराधिक न्याय प्रणाली असहनीय व्यवहार के प्रति दृढ़ता से सामाजिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। शुरु से ही इसे समुदाय के राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े मूल्यों की एक स्थापित व्यवस्था की रक्षा के लिए रचे गए एक उपकरण के रूप में माना जाता था। इन मूल्यों को दर्शाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के उल्लंघन को एक अपराध के रूप में देखा गया और जो इस तरह, सजा के योग्य थे।

446. किसी दिए गए समाज में एक विशेष समय में अपराध क्या है, इसका व्यापक अर्थ है क्योंकि अपराध की अवधारणा देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे में बदलाव के साथ बदलती रहती है। आर्थिक अपराधों या औद्योगिक गतिविधि के भंग या कर प्रावधान के भंग से संबंधित अपराधों

से संबंधित विभिन्न कानून इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। संविधान निर्माताओं ने संभावित स्थिति का पूर्वानुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में कानून बनाने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों विधानमंडलों को ऐसी शक्तियां प्रदान कीं। ऐसे अधिकार में अपराध को परिभाषित करने और उसके लिए सजा का प्रावधान करने की शक्ति शामिल है। "संविधान के प्रारंभ पर दंड संहिता, 1860 में शामिल सभी मामलों सहित" शब्दावली का उपयोग इस प्रविष्टि की व्यापक प्रकृति का स्पष्ट संकेत है। यह विधायिका को न केवल दंड संहिता, 1860 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, बल्कि कोई अन्य मामला जिसे यथोचित और न्यायसंगत रूप से आपराधिक प्रकृति का माना जा सकता है। ..."

41. तदनुसार, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया यह राय है कि भले ही अधिनियम की धारा 69 और 132 को अनुच्छेद 246क के तहत शक्ति के अनुसरण में अधिनियमित नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें सूची III की प्रविष्टि 1 के तहत अधिनियमित किया जा सकता था, क्योंकि अपराध का निर्धारण और इसके लिए सजा का प्रावधान "आपराधिक विधि" है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह मत है कि अधिनियम की धारा 69 और 132 दोनों ही संवैधानिक हैं और संसद की विधायी क्षमता के भीतर आती हैं।

यह न्यायालय, अंतरिम चरण में, इस दृष्टिकोण को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी अधिनियम के लिए अध्याय XII दं.प्र.सं. के उपयोग के संबंध में विचार किया है।

42. जहाँ तक सीजीएसटी अधिनियम के लिए दं.प्र.सं. के अध्याय XII के उपयोग के मुद्दा का संबंध है **विमल यशवंतगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य, आर/विशेष सिविल आवेदन सं. 13679/2019**, में गुजरात उच्च न्यायालय हाल ही में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"(3) प्र. (i) क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154, 155(1), 155(2), 155(3), 157, 172 के प्रावधान लागू होते हैं या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को आह्वान करने के उद्देश्य से लागू किए जाने चाहिए? दूसरे शब्दों में, क्या प्राधिकृत अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन दंडाधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने कथित रूप से असंज्ञेय और जमानतीय अपराध किए हैं?"

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(ii) जब किसी व्यक्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकृत अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 से 157 के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानून में बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार करने के पश्चात्, ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे

में उस व्यक्ति को सूचित करना होगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के दंडाधिकारी के समक्ष ले जाना होगा, यदि अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीयी हैं। तथापि, संहिता की धारा 154 से 157 के प्रावधान उस समय लागू नहीं होंगे। अन्यथा, धारा 69 की उप-धारा (3) जमानत देने का प्रावधान करती है क्योंकि प्रावधान जीएसटी अधिकारियों को अन्वेषण और रिपोर्ट के संबंध में किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान नहीं करता है। जमानत देने की शक्ति को, यह कहते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से परिभाषित करने के बजाय कुछ समान परिस्थितियों में रखे जाने पर किसी अन्य अधिकारी की शक्तियों को संदर्भित करने का छोटा और समीचीन तरीका अपनाया गया है। अपनी भाषा से, उप-धारा (3) जीएसटी के अधिकारियों को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ बराबरी नहीं करती है, न ही यह निहितार्थ से उसे ऐसा बनाती है। अतः इसका केवल यह अर्थ है कि उसे ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के या अन्यथा प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित शक्तियां प्राप्त हैं। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर गैर-संज्ञेय और जमानतीयी अपराध करने का आरोप है, दंडाधिकारी द्वारा जारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

(iii) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करने वाला अधिकृत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है और इसलिए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कानून में बाध्य नहीं है।

(iv) ओम प्रकाश (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं है।

(v) एक अधिकृत अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक 'उचित अधिकारी' है। चूंकि अधिकृत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, इसलिए जांच के दौरान उनके समक्ष दिए गए बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य नहीं हैं।

(vi) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति सांविधिक है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 में किसी भी दंडाधिकारी के हस्तक्षेप पर विचार नहीं किया गया है।

(vii) ओम प्रकाश (पूर्वोक्त) के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध जमानतीय था या गैर-जमानतीय निर्णय का मुख्य जोर इस बिंदु पर था कि अपराध असंज्ञेय होने के कारण इसे जमानतीय होना था। दूसरे शब्दों में, ओम प्रकाश (पूर्वोक्त) इस प्रश्न से निपटता है, "क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत अपराध जमानतीय हैं या नहीं? हालांकि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 की उप-धाराएं (2) और (3) के प्रावधान, गैर-जमानतीय अपराधों और जमानतीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी के मामले में अंतर्निहित तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करते हैं।"

43. इसके अलावा, इसी तरह के मामले अर्थात् **गौतम खैतान बनाम भारत संघ व अन्य रि.या.(सि) 2658/2018** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांकित 30 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से मामले को बिना किसी अंतरिम आदेश के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया

है, क्योंकि उक्त मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। गौतम खेतान (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय का आदेश यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

“दोनों पक्षों की ओर से पेश अधिवक्ता संयुक्त रूप से कहते हैं कि इस रिट याचिका में शामिल मुद्दा भी कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। ऐसे ही मामलों में से एक आपराधिक विविध याचिका सं. 168-169/2014 है; इसलिए, यह रिट याचिका अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।”

44. नतीजतन, यह न्यायालय अंतरिम स्तर पर, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि एक अन्य उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद के विपरीत एक दृष्टिकोण लिया है। इसलिए, इस अंतरिम स्तर पर, हम गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की अनदेखी नहीं कर सकते।

प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपाक महाजन (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और उपरोक्त गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ये तर्क कि याचीगण पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण नहीं ले पाए हैं और/या जब सीजीएसटी अधिनियम निष्क्रिय है तब भी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, कानून के दायरे में नहीं आते हैं।

45. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि जब किसी व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132(5) के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उक्त

व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और आवश्यक रूप से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर धारा 69 (2) के तहत दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह कार्यपालिका के कार्यों पर न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करता है और इसे अनुचित और/या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि याचीगण द्वारा तर्क दिया गया है।

46. इसके अलावा, यह तर्क कि याचीगण पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत संरक्षण नहीं ले पाए हैं और/या जब सीजीएसटी अधिनियम निष्क्रिय है तब भी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, कानून के दायरे में नहीं आते हैं। **प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :-

*"87. रमेश चंद्र मेहता बनाम प.बं. राज्य [एआईआर 1970 एससी 940 : (1969) 2 एससीआर 461:1970 सीआरआई एलजे 863] में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 171-क के तहत दर्ज एक बयान की ग्राह्यता की जांच करते हुए (जो अधिनियम अब निरस्त कर दिया गया है) 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के अनुरूप अभिनिर्धारित किया है कि सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के अर्थ के भीतर या साक्ष्य*

अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर किसी अपराध का अभियुक्त नहीं है।

88. वीरा इब्राहिम बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1976) 2 एससीसी 302 : 1976 एससीसी 278] में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने रमेश चन्द्र मेहता [एआईआर 1970 एससी 940 : (1969) 2 एससीआर 461 : 1970 सीआरआई एलजे 863] में यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 20 के खंड (3) में सन्निहित गवाही हेतु मजबूर करने के विरुद्ध गारंटी के लाभ का दावा करने के लिए, सबसे पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि बयान देने वाला व्यक्ति "किसी अपराध का अभियुक्त था"; दूसरा कि उसने मजबूरी में बयान दिया था। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति का बयान दर्ज किया जाता है, तो वह "सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध का आरोपी" व्यक्ति नहीं होता है और यह कि ऐसा आरोप जो किसी व्यक्ति के चरित्र पर किसी भी अपराध के आरोपी के रूप में मुहर लगाएगा, केवल तभी लगाया जाता है जब सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध को करने की शिकायत करते हुए, उस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है।

89. हाल के एक निर्णय में, इस न्यायालय ने पूलपंडी बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क [(1992) 3 एससीसी 259 : 1992 एससीसी (सीआरआई) 620] में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम या एफ.ई.आर.ए. के अधीन जांट के दौरान पूछताछ किए जाने वाला व्यक्ति

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति नहीं है। पर्सी रुस्तमजी बस्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1971) 1 एससीसी 847] भी देखें।

XXXX XXXX XXXX XXXX

122. ....संहिता के धारा 4(2) और 26(ख) का संयुक्त परिचालन यह है कि जहां अधिनियम जो अपराध पैदा करता है, कोई विशेष प्रक्रिया इंगित नहीं करता है, शिकायत किए गए अपराध की जांच या पूछताछ की जानी चाहिए या संहिता के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

XXXX XXXX XXXX XXXX

128. .... संक्षेप में, इस संहिता के प्रावधान संहिता के अधिकार क्षेत्र या प्रयोज्यता को छोड़कर किसी भी विशेष प्रावधान में किसी भी विपरीत प्रावधान या विशेष अधिनियम की अनुपस्थिति में उस सीमा तक लागू होंगे। वास्तव में, धारा 4(2) का दूसरा अंग ही संहिता के प्रावधानों के उपयोग को सीमित करता है, "... लेकिन ऐसे अपराधों के साथ जांच करने, पूछताछ करने, प्रयास करने या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले समय के लिए किसी भी अधिनियम के अधीन है।"

XXXX XXXX XXXX XXXX

132. उपरोक्त कारणों से, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संहिता की धारा 4(2) का प्रवर्तन प्रत्यक्षतः एफ.ई.आर.ए. और सीमाशुल्क अधिनियम सहित विशेष विधियों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच और

विचारण के क्षेत्र पर लागू होता है और परिणामस्वरूप संहिता की धारा 167 को विशेष अधिनियमों के तहत किसी अपराध की जांच या पूछताछ के दौरान भी लागू किया जा सकता है क्योंकि धारा 167 के प्रवर्तन को छोड़कर इसके विपरीत कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।"

47. सिर्फ इसलिए कि सीजीएसटी अधिनियम में नागरिक दायित्व और आपराधिक अभियोजन दोनों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिनियम अनुचित या अतर्कसंगत है।

याचीगण के अधिवक्ता द्वारा "कोई दंडात्मक आदेश नहीं" का अवलंब लेना अपुष्ट है क्योंकि भारत का संघ बनाम सपना जैन व अन्य, एसएलपी (आप.) 4322-4324/2019 दिनांकित 29 मई, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार दिए हैं।

48. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए "कोई दंडात्मक आदेश नहीं" अंतरिम आदेश हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि क्योंकि भारत का संघ बनाम सपना जैन व अन्य, एसएलपी (आप.) 4322-4324/2019 दिनांकित 29 मई, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने "अपने विचार दिए हैं" और स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने के अनुरोध पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई, 2019 को एसएलपी (आपराधिक) 4430/2019 में पारित आदेश के माध्यम से तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। **भारत संघ बनाम सपना**

**जैन व अन्य** (पूर्वोक्त) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रासंगिक हिस्से के साथ-

साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को 2019 की रि.या. सं. 4764, 4769, 4892, 5074, 5130, 5329, 6952 और 7583 में पारित निर्णय और आदेश को यहां प्रस्तुत किया गया है:-

**ए) भारत संघ बनाम सपना जैन व अन्य (पूर्वोक्त) :-**

*“चूंकि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मामले में अलग-अलग विचार रखे हैं, हमारा मानना है कि इस न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इसलिए, नोटिस।*

*चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्धिगण को आक्षेपित आदेशों द्वारा गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, इस चरण पर, हम उसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय भविष्य में इस तरह के अनुरोध पर विचार करते समय, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस न्यायालय ने एसएलपी(आपराधिक) 4430/2019 में दिनांक 27.5.2019 को पारित आदेश द्वारा इसी तरह के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत के विपरीत मत लिया था।*

*उपरोक्त से परे, हम आगे कुछ भी कहना आवश्यक नहीं समझते हैं।”*

ख) तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को 2019 की रि.या. सं. 4764, 4769, 4892, 5074, 5130, 5329, 6952 और 7583 में पारित निर्णय और आदेश :-

"13. तथापि, विधि के प्रस्ताव जिन्हें पूर्वोक्त निर्णयों से निकाला जा सकता है, निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किए जा सकते हैं :- एआईआर 1966 एससी 1746 एआईआर 1970 एससी 940 एआईआर 1970 एससी 1065 1970 (1) एससीसी 847 1976 (2) एससीसी 302 1992 (3) एससीसी 259 211

i) कि विभिन्न कर कानूनों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम आदि के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, जिन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की खंड 25 लागू होगी,

(ii) तलाशी और गिरफ्तारी के लिए विभिन्न कर अधिनियमितियों के अधीन नियुक्त अधिकारियों को प्रदत्त शक्ति वास्तव में करों और शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के उनके मुख्य कार्य की सहायता और समर्थन करने के लिए अभिप्रेत है,

(iii) कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कर कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जांच की जाती है, वह स्वतः ही किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति नहीं बन जाता है, जब तक कि अभियोजन शुरू नहीं किया जाता है,

(iv) यह कि कर कानून के तहत जांच के दौरान व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों को अपराध के आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के समान नहीं माना जा सकता है, और

(v) यह कि परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि जांच के लिए तलब किए गए व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधीन किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति नहीं हैं।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

58. इसलिए, याचीगण द्वारा उठाई गई सभी तकनीकी आपत्तियां, प्रत्यर्थागण के लिए हकदार होने के साथ उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता को अस्वीकार करने के योग्य हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचीगणगिरफ्तारी से संरक्षण के हकदार हैं। यह याद रखना चाहिए कि याचीगणको अग्रिम जमानत चाहने वालों की तुलना में उच्च स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुमारी हेमा मिश्र (पूर्वोक्त उद्धृत) में चेताया गया है।

59. हमने बहुत व्यापक रूप से संकेत दिया है, बिना गहराई तक जाए, कि याचीगणकथित रूप से लगभग 1,289.00 करोड़ रूपए के कागज पर आवर्त के साथ सर्कुलर ट्रेडिंग में संलिप्त हुए हैं एवं आईटीसी को 225.00 करोड़ रूपए का लाभ पहुँचाया है। जीएसटी व्यवस्था अपने आरंभिक चरण में है। यह कानून अभी अपनी दूसरी वर्षगांठ तक नहीं पहुंचा है। विवरणी प्रस्तुत करने, आईटीसी दावा प्रस्तुत करने आदि के मामले में बहुत सारी तकनीकी गड़बड़ियां थीं। इन तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसी भी संख्या में परिपत्र जारी किए जाने थे।

60. यदि, जीएसटी व्यवस्था को लागू करने से पहले भी, कोई व्यक्ति कानून का फायदा उठा सकता है, बिना वस्तु की वास्तविक खरीद या बिक्री या सेवाओं को किराए पर लेने या प्रदान करने के, एक विशाल आवर्त को पेश करता है जिसका अस्तित्व केवल कागज पर ही है, जिससे लगभग 225.00 करोड़ रूपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा उद्भूत हुआ, तो प्रत्यर्थागण के यह सोचने में कुछ भी गलत नहीं है कि संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आम तौर पर, अन्य सभी राजवित्तीय विधियों में, जिन अपराधों को हम पारंपरिक रूप से जानते हैं, वे दायित्व की अपवंचन के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ऐसे मामलों में, सरकार केवल

उसके हक से वंचित रहती है। किन्तु याचीगण द्वारा कथित रूप से किए गए धोखाधड़ी वाले आईटीसी दावों की प्रकृति में, सरकार के लिए एक बड़ी देयता पैदा हो जाती है। इसलिए, याचीगणके खिलाफ जिन कृत्यों की शिकायत की गई है वह अपने आरंभ से ही की लघु अवधि के भीतर एक विधि के कार्यान्वयन के लिए खतरा पैदा करते हैं।

61. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे इस निष्कर्ष के बावजूद कि रिट याचिकाएं पोशणीय हैं और हमारे इस निष्कर्ष के बावजूद कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 व 41-क के तहत संरक्षण, इस अधिनियम के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो सकता है और हमारे इस निष्कर्ष के बावजूद कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 एवं धारा 69 व 132 के बीच विसंगतियां हैं, हम उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्हें हमने ऊपर इंगित किया है, गिरफ्तारी के खिलाफ याचीगणको राहत देना नहीं चाहते हैं।"

49. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि यह तर्क याचीगणके मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

यह न्यायालय प्रथमदृष्टया विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुतियों में बल पाया है कि केंद्रीय कर अधिकारियों को सीजीएसटी

अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य कर प्रशासन को सौंपे गए कर दाताओं के खिलाफ बौद्धिक - आधारित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है।

50. जहाँ तक रि.या.(सि) 10130/2020 में उठाए गए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का संबंध है, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुतियों में बल पाता है कि केंद्रीय कर अधिकारियों को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य कर प्रशासन को सौंपे गए करदाताओं के खिलाफ बौद्धिक - आधारित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है। इस अंतरिम चरण में, हम परिसर की तलाशी की कार्रवाई को इस आधार पर दूषित नहीं कर सकते कि यह अभिकथन कि तलाशी लेने वाला अधिकारी अक्षम था। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने समझाया है कि याचिकाकर्ता का पता सीजीएसटी - दिल्ली उत्तर के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी - दिल्ली पूर्व ने दिनांक 22.11.2020 के पत्र के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी - दिल्ली उत्तर से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67(2) के तहत तलाशी प्राधिकार जारी करने और उक्त पते पर तलाशी के उद्देश्य से सीजीएसटी - दिल्ली उत्तर के एक निरीक्षक को नियुक्त करने का अनुरोध किया। निश्चित रूप से इस प्रतिविरोध को याचिकाकर्ता द्वारा विवादित किया गया है तथा

अंतिम चरण में इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, लेकिन अभी के लिए, हम तलाशी की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं पाते हैं।

प्रथमदृष्टया स्तर पर जो आशंकाएं हैं वह यह है कि यह प्रत्यर्थीगण का मामला है कि एक कर संग्रह तंत्र को एक संवितरण तंत्र में परिवर्तित किया गया है जैसे कि यह एक सहायता योजना हो।

51. वर्तमान मामलों के तथ्यों की ओर ध्यान देते हुए, रि.या.(सि) सं. 5454/2020 में रोक हटाने के आवेदन में, प्रत्यर्थगण द्वारा निम्नानुसार प्रकथन किए गए हैं:-

"(iii) उक्त 04 फर्मों के स्वत्वधारीयों के बयान दर्ज किए गए थे। अपने बयानों में, स्वत्वधारीयों नामतः मैसर्स मोनल एंटरप्राइजेज के दीपक कुमार मिश्रा, मैसर्स माइक्रा ओवरसीज के श्री संतोष प्रसाद और मैसर्स गणेशी आईएनसी. के श्री मनोज कुमार ने कहा कि उन्हें इन फर्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने केवल श्री मुकेश कुमार को अपनी आईडी जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रदान किए हैं और बहुत सारे कागजात / दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कि जांच में अब तक कुल 23 फर्जी / नकली फर्मों का पता चला है जो मजदूरों, ड्राइवरों, रसोइयों, गली में फेरीवालों आदि के नाम पर खोले गए हैं। इन 23 फर्मों ने 63 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी आईजीएसटी रिफंड का दावा किया है। उपरोक्त फर्मों के संबंध में तलाशी / सत्यापन भी किए

गए थे और सभी उक्त फर्मों को अस्तित्वहीन / गैर-कार्यात्मक पाया गया है।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(v) जांच से आगे पता चला कि 4 फर्मों के स्वत्वधारी छद्म व्यक्ति हैं जिन्हें माल के निर्यात पर धोखाधड़ी वाले आईजीएसटी रिफंड का लाभ उठाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों / कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए लुभाया / मजबूर किया गया है। यह खुलासा गया है कि श्री दीपक कुमार मिश्रा, जिसे मैसर्स मोनल एंटरप्राइजेज के स्वत्वधारी और लाभार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में हरियाणा के गुरुग्राम में मैसर्स डुडलीज किचन में एक रसोइया के रूप में कार्यरत था, जिस तथ्य की पुष्टि मैसर्स डुडलीज किचन के प्रबंधक ने अपने दिनांक 15.05.2019 के पत्र के माध्यम से की है।

(vi) यह कि, वर्तमान मामले में, श्री मनोज कुमार और श्री संतोष प्रसाद के बयान दिनांकित 27.08.2019 तथा श्री जानेंद्र कुमार (मैसर्स क्यूबो एंटरप्राइजेज के स्वत्वधारी) का बयान दिनांकित 04.09.2019 को दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि श्री ध्रुव मग्गु आईजीएसटी रिफंड रैकेट के धोखाधड़ी वाले लाभ में श्री रमेश वढेरा जो इस रैकेट का

मुख्य मास्टरमाइंड है, उसके पिता श्री संजीव मग्गू और उसका भाई श्री अखिल कृष्ण मग्गू के साथ सक्रिय रूप से शामिल है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एस। रमेश वढेरा के खिलाफ डीआरआई / सीमा शुल्क के कई पुराने मामले हैं और वह एक आदतन अपराधी है और उसने प्रत्यर्थी के पिता श्री संजीव मग्गू के साथ पहले भी आर्थिक अपराध के इसी तरह के रैकेट को अंजाम दिया है, जिसमें सरकारी राजकोष को धोखा देने के उद्देश्य से भोले-भाले व्यक्तियों के नाम पर छद्म स्वत्वधारी / साझेदारी फर्म बनाई गई थी .....

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(viii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 सह पठित आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अंतर्गत श्री ध्रुव मग्गू का स्वैच्छिक बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसका भाई श्री अखिल मग्गू और वह व्यापारिक भागीदार हैं। यह कि उन्होंने विभिन्न गरीब व्यक्तियों के नाम पर कई फर्म और उनके बैंक खाते खोले हैं जिनकी आईडी श्री मुकेश कुमार के माध्यम से हासिल की गई हैं, जो उनके प्रबंधक हैं, भुगतान के आधार पर। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया और प्रलेखीकरण उनके अन्य तीन भागीदारों द्वारा श्री

मुकेश कुमार के सहयोग से संभाला जाता है। समानांतर रूप से, इन फर्मों के संबंध में डीजीएफटी से आईईसी भी प्राप्त किया जाता है। फिर वे कचरे या निम्न गुणवत्ता वाले सामान की व्यवस्था करते हैं और फिर उपरोक्त निर्मित फर्मों के नाम पर उसी का निर्यात करते हैं, समानांतर रूप से, वे इन फर्मों के जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं और इन फर्मों में आईटीसी द्वारा जीएसटी देयता का भुगतान करते हैं। फिर वे सरकार से नकली आईटीसी द्वारा निर्यात पर भुगतान किए गए जीएसटी के संबंध में आईजीएसटी रिफंड का दावा करते हैं। फिर निर्यातक फर्मों के खाते में प्राप्त आईजीएसटी रिफंड राशि उसके भागीदारों द्वारा अन्य खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है और फिर इन अन्य खातों से नकदी के रूप में पैसा निकाल लिया जाता है। इस प्रकार निकाली गई नकदी उसके भागीदारों द्वारा प्राप्त की जाती है और फिर निर्यात की पूरी प्रक्रिया के दौरान कमीशन या अन्य खर्चों को समायोजित करने के बाद भागीदारों के बीच वितरित की जाती है। यह कि वह बीजक जारी करने से संबंधित काम देखता है और बीजक जारी करने के बाद, वह उन्हें या तो अपने भाई श्री अखिल मग्गु या अपने पिता श्री संजीव मग्गु या श्री रमेश वढेरा को सौंप देता था जो फिर उन्हीं बीजकों का उपयोग

करके निर्यात से संबंधित प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हैं।"

52. इसी प्रकार रि.या. (सि) 10130/2020 में याचीगणके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रति शपथ-पत्र का प्रासंगिक भाग अधोलिखित रूप से उद्धृत किया गया है:-

*"11. सिस्टम से प्राप्त डाटा के अवलोकन पर यह पाया गया कि मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 196.28 करोड़ रूपए के बीजक जुटाए थे जिसमें मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को 5.88 करोड़ रूपए की जीएसटी भी शामिल थी एवं 15.57 करोड़ रूपए जिसमें मैसर्स एन. एस. सॉफ्टवेयर को 46.72 लाख रूपए की जीएसटी शामिल थी जो कुल मिलाकर वस्तुओं का मूल्य 211.86 करोड़ रूपए का है तथा 6.35 करोड़ रूपए जीएसटी के रूप में, मैसर्स एन. एस. सॉफ्टवेयर ने 15.57 करोड़ रूपए के बीजक जुटाए थे जिसमें मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को 46.72 लाख रूपए की जीएसटी शामिल है, मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड ने 211.81 करोड़ रूपए के बीजक जुटाए थे जिसमें मैसर्स के. पी. एंड संस को 6.35 करोड़ रूपए की जीएसटी शामिल है और मैसर्स के. पी. एंड संस ने 211.89 करोड़ रूपए के बीजक जुटाए थे जिसमें मैसर्स*

**राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को 6.35 करोड़ रुपए की जीएसटी शामिल है जिससे पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है।**

III. इन पक्षों के बीच उपरोक्त लेनदेन केवल पांच महीनों में हुआ है अर्थात् जनवरी 2018, फरवरी 2018, मार्च 2018, फरवरी 2019 और मार्च 2019। साथ ही, यह पाया गया कि इन सभी कंपनियों ने एक ही दिन अपने बीच बीजक जुटाए हैं। उदाहरण के लिए, दिनांक 30.01.2018 को, मैसर्स के. पी. एंड संस ने 2,70,00,000/- रुपए का एक बिक्री बीजक जुटाया जिसमें मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को 8,10,000/- रुपए की जीएसटी शामिल है, मैसर्स राज दरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने तब 2,69,91,000/- रुपए का बिक्री बीजक दिनांकित 30.01.2018 जुटाया जिसमें मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड को 8,09,730/- रुपए का जीएसटी शामिल है, मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड ने तब 2,69,95,500/-रुपए का बिक्री बीजक दिनांकित 30.01.2018 जुटाया जिसमें 8,09,865/- रुपए का जीएसटी शामिल है। इन सभी पक्षकारगण द्वारा आपस में उठाए गए सभी बीजकों हेतु इस प्रथा का पालन किया गया है।

IV. यह कि, दिनांक 30.01.2018 को, पहली बार जब मैसर्स के. पी. एंड संस ने मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए उनके जीएसटीआर-2ए के अनुसार 4.5 करोड़ रूपए के स्वर्ण बुलियन के लिए बिक्री बीजक तैयार किया था तब उनके पास केवल 2.95 करोड़ रूपए मूल्य के स्वर्ण बुलियन स्टॉक में थे। इसलिए, केवल 2.95 करोड़ रूपए मूल्य के स्वर्ण बुलियन स्टॉक के साथ, मैसर्स के. पी. एंड संस ने मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए 211.89 करोड़ रूपए के बिक्री बीजक जुटाए थे और मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड से कुल 211.81 करोड़ रूपए के स्वर्ण बुलियन खरीदे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इन उपरोक्त संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के साथ माल का व्यापार किया जाता है और इन फर्मों द्वारा सभी जीएसटी भुगतान एक-दूसरे को दिए गए आईटीसी द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, इन फर्मों के जीएसटीआर-2ए के विश्लेषण से यह पाया गया कि उपरोक्त लेनदेन को छोड़कर उपरोक्त में से किसी भी फर्म ने न तो स्थानीय रूप से और न ही आयत द्वारा 211 करोड़ रूपए का सोना नहीं खरीदा है।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

VII. उपर्युक्त सभी स्थानों पर दिनांक 23.11.2020 को तलाशी ली गई और श्री वासुदेव गर्ग, मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक का बयान मौके पर दर्ज किया गया। श्री वासुदेव गर्ग ने सूचित किया कि मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एन. एस. सॉफ्टवेयर सभी राजदरबार समूह की फर्म हैं। उसने आगे यह कहा कि माल अर्थात् मैसर्स के. पी. एंड संस, मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एन. एस. सॉफ्टवेयर और मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए गए व्यापारिक लेनदेन में शामिल स्वर्ण बुलियन की कोई आपूर्ति नहीं हुई थी। उसने अपनी गलती मानी और डीआरसी-03 चालानों के माध्यम से अब तक दिनांक 24.11.2020, 01.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020 और 08.12.2020 को 4.5 करोड़ रूपए बतौर जीएसटी जमा किए।

VIII. डीआईएन सं. 20201151जेडके000044254ए के अंतर्गत जारी सम्मन के जवाब में दिनांक 26.11.2020 को अभिलिखित श्री गौरव अग्रवाल, मैसर्स के. पी. एंड संस के स्वत्वधारी का बयान भी दर्ज किया गया था। श्री गौरव अग्रवाल ने स्वेच्छा से दर्ज किए गए अपने बयान में यह भी कहा कि माल अर्थात् स्वर्ण बुलियन ने कभी हाथ नहीं बदले क्योंकि वे मैसर्स वर्टिकल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड से समान मात्रा में गोल्ड बुलियन

*खरीदते थे जो वे मैसर्स राजदरबार कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को उसी दिन बेचते थे। श्री गौरव अग्रवाल ने अपनी गलती स्वीकार की तथा प्रस्तुत किया कि वह लागू ब्याज और जुर्माने के साथ किसी भी बकाया या देनदारियों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।"*

*(जोर दिया गया है)*

53. निष्कर्ष निकालने के लिए, प्रथमदृष्टया चरण में जो उभरता है वह यह है कि यह प्रत्यर्थी का मामला है कि एक कर संग्रह तंत्र को एक संवितरण तंत्र में परिवर्तित कर दिया गया है जैसे कि यह कोई सब्सिडी योजना थी।

*गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस चरण में जांच में और वो भी रिट कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। साथ ही, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। परिणामतः पक्षकारगण को सांविधिक उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ अंतरिम संरक्षण हेतु आवेदनों को खारिज किया जाता है।*

54. यह स्थापित विधि है कि यद्यपि संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियां व्यापक और विवेकाधीन हैं, फिर भी ऐसी शक्तियों के प्रयोग में कुछ बंधन मौजूद हैं। **हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एससीसी 453** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के प्रावधान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में इसे विशेष रूप से छोड़ दिया गया है, रिट अधिकार क्षेत्र के तहत शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना है।

55. इस न्यायालय का विचार है कि यह आरोप, कि कर संग्रह तंत्र को संवितरण तंत्र में परिवर्तित कर दिया गया है, में निश्चित रूप से जांच की आवश्यकता है। तदनुसार, यह न्यायालय इस स्तर पर और वह भी रिट कार्यवाही में जांच में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। साथ ही, निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार या परेशान नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने जमानत या रिमांड या जमानत रद्द करने पर विचार करते समय 'गेहूं को भूसे से अलग करेगा' और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति जिसके खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं, उसे पुलिस / न्यायिक हिरासत में न भेजा जाए।

56. परिणामतः, पूर्वोक्त टिप्पणियों और स्वतंत्रता के साथ, अंतरिम राहत के लिए रि.या.(सि) 10130/2020 में सि.वि. सं. 32276/2020 के साथ-साथ रि.या.(सि) 5454/2020 में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को याचीगण को वैधानिक उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान किए जाने के साथ खारिज किया जाता है और रि.या.(सि) 5454/2020 में प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 द्वारा दायर सि.वि.सं. 28105/2020 को अनुमति प्रदान की जाती है और रि.या.(सि) 5454/2020 में पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 20 अगस्त, 2020 को बातिल किया जाता है।

57. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां प्रथमदृष्टया हैं और वर्तमान रिट याचिकाओं की अंतिम बहस के स्तर पर या अंतरिम संरक्षण की कार्यवाही में किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

**रि.या.(सि.) 5454/2020 व रि.या.(सि)10130/2020**

पूर्व निर्धारित तिथि पर नियमित रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

**न्या., मनमोहन**

**न्या., संजीव नरूला**

**जनवरी 08,2021**

**आरएन/जेएस/जैसे**

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।